न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आबूरोड, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
जो कोई हो :–
कलेमेन्ट:– श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही

नाऔलादी प्रकरण संख्या: 01/2009

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 राजस्थान एस्चीट रेग्यूलेशन एक्ट, 1956"

उपस्थिति:
1. पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार), कलेक्टर कार्यालय, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री आनन्द देव सुमन, अप्रार्थी कलेमेन्ट बाबुलाल की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 09 अप्रेल, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड ने पत्र कमांक/भू.अ./लावारिस सम्पति/2008/2995 दिनिांक 29.9.2008 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि तहसील आबूरोड के पटवार मण्डल सूरपगला में ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से सम्पति स्थित है। वर्तमान में ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम की संस्था अस्तित्व में नही है। पटवारी हल्का, सूरपगला की रिपोर्ट व रेकर्ड के अनुसार ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि रेकर्ड में दर्ज है, जिस पर इसी खसरा नम्बर में 6 कमरे, एक हैण्ड़पम्प बाउण्ड्री वॉल सहित बने हुए है, जो आबूरोड से अम्बाजी रोड पर स्थित है। संस्थान गत 15 वर्षो से बन्द पडी है, जिसका कोई मालिक नही है। वर्तमान में बाबूलाल पुत्र लालाराम, जाति– खैर गमेती निवास करता है, जो वर्तमान में सूरपगला ग्राम पंचायत का सरपंच है, जिन्होनें विद्युत विभाग से सम्बन्ध करवाया है। उक्त चल सम्पति का कोई वारिस नही होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त सम्पति को राजस्थान राजगामी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्न्तगत राजगामी सम्पति घोषित कराने की कार्यवाही करावे।

तहसीलदार, आबूरोड द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:रीडर/2008/679–680 दिनांक 02.12.2008 से यह रिपोर्ट तलब की गई कि उक्त संस्थान पंजीकृत है अथवा नही? तथा उक्त संस्थान के पदाधिकारी कौन–कौन व्यक्ति है? इस संबंध में संस्थान के पंजीकरण प्रमाण पत्र व संस्थान के पदाधिकारियों/सदस्यों का विवरण मय पते के प्रस्तुत करे। तहसीलदार, आबूरोड के पत्र क्रमांक:भू.अ./2009/637 दिनांक 06.4.2009 से प्राप्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ग्राम सूरपगला के खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि विक्रय विलेख संख्या 629 दिनांक 22.7.1985 से क्रय की हुई है। संस्थान के पंजीकरण के संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नही है, सिर्फ पंजीकृत दस्तावेज में ही है। पंजीयन कार्यालय में संस्था के पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है तथा न ही संस्था के पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध हुई है। संस्था के पंजीयन व पदाधिकारियों की सूची व संस्था के संविधान के संबंध में कोई दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध नही है। श्री बाबूलाल पुत्र लालाजी खैर द्वारा स्वयं को संस्थान का कार्यकर्ता बताया है, लेकिन श्री बाबूलाल को संस्थान के संचालन के लिए किस हैसियत से अधिकृत किया गया है, संविधान, पदाधिकारियों की सूची आदि प्रस्तुत करने हेतु पत्र

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 14:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner

क्रमांक:भू.अ. / लावा / 09 / 41 दिनांक 12.01.2009 को लिखा गया। श्री बाबूलाल ने समाचार पत्र में आम ईश्तिहार छपवाने के बाद अपने जवाब में अपने आप को संस्थान का अधिकृत प्रतिनिधि बताया है, लेकिन अधिकृत पत्र प्रस्तुत नही किया है। ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी चौबेपुर के पते पर भी रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया, लेकिन वहां से भी संस्थान नही होने से पत्र पुन: लौटकर आया है। दिनांक 02.01.2009 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में भी संस्थान के अस्तित्व में नही होने के संबंध में समाचार प्रकाशित करवाने के उपरान्त भी कोई जवाब नही आया है है, सिर्फ श्री बाबूलाल पुत्र लालाजी खैर का जवाब आया था। यह कि ग्राम सूरपगला के खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि के बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति या रुपान्तरण आदेश के ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान का भवन बना हुआ है। वर्तमान में कृषि भूमि का कोई भी अस्तित्व नही होने से श्री बाबूलाल पुत्र लालाराम खैर द्वारा निजी उपयोग व उपभोग किया जा रहा है व निजी मकान बताकर विद्युत का कनेक्शन करवाया है। ऐसी स्थित में, भूमि कृषि योग्य नही होकर अकृषि योग्य होने से राजस्थान राजगामी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्न्तगत राजगामी सम्पति घोषित किये जाने योग्य है।

(2) तहसीलदार, आबूरोड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त सम्पति / संस्था के संबंध में इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:कोर्ट / 2009 / 433 दिनांक 09.7.2009 के द्वारा इस आशय की विज्ञप्ति जारी की गई कि "ग्राम सूरपगला, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही (राज.) के खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि ग्राम पुर्ननिर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम दर्ज है, उक्त भूमि ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय चौबेपुर, वाराणसी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.7.1985 के द्वारा क्रय की गई है। उक्त खसरा नम्बर में भूमि पर चार दीवारी व छ: कमरे बने हुए व एक हैण्डपम्प भी स्थित है। उक्त भूमि आबूरोड से अम्बाजी रोड पर स्थित है। वर्तमान में उक्त संस्था अस्तित्व में नही होने व उक्त सम्पति लावारिश सम्पति होना बताते हुए तहसीलदार, आबूरोड ने उक्त सम्पति को राजगामी सम्पति घोषित कराने हेतु राजस्थान राजगामी सम्पति अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय, वाराणसी नाम की उक्त संस्था वर्तमान में अस्तित्व में हो या जो कोई व्यक्ति उक्त संस्था से संबंध रखता है अथवा उक्त संस्था का पदाधिकारी या सदस्य है तो वह अपनी आपत्ति इस विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।"

उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र एवं वाराणसी के समाचार पत्र में करवाया गया एवं राजकीय मुद्रणालय, जयपुर से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया गया। इसके अलावा, उक्त विज्ञप्ति को जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, आबूपर्वत के नोटिस बोर्ड, सहायक रजिस्ट्रार, सहाकारी समितियां, सिरोही के कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति कार्यालय, आबूरोड के नोटिस बोर्ड एवं इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाया गया। साथ ही, तहसीलदार, आबूरोड के माध्यम से विज्ञप्ति का प्रसारण ग्राम सुरपगला एवं आस–पास के क्षेत्र में ढोण्डी पिटवाकर करवाया एवं उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति उक्त सम्पति के मौके पर एवं एक–एक प्रति तहसील कार्यालय, आबूरोड के नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवाकर तामिल करवाई गई। उक्त विज्ञप्ति, राजस्थान राजपत्र अंक 18 दिनांक 30.7.2009 भाग संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 189 पर प्रकाशित हुई। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय दैनिक [illegible] दैनिक जयपुर ब्यूरो" में दिनांक 28.7.2009 को पृष्ठ संख्या 4 पर एवं वाराणसी के स्थानीय दैनिक समचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक 29.7.2009 को पृष्ठ संख्या [illegible] पर हुआ।

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner

इसके अलावा, इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:कोर्ट/2009/468 दिनांक 06.8.2009 के द्वारा अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय, चौबेपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया एवं इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:कोर्ट2009/469 दिनांक 06.8.2009 से अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही के पते पर भी नोटिस जारी किया जाकर तहसीलदार, आबूरोड़ को तामिली हेतु भिजवाया गया। साथ ही, तहसीलदार, आबूरोड़ के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित व्यक्ति श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.2009 नोटिस जारी किया जाकर इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 26.10.2009 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय चौबेपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के पते पर जारी नोटिस की पंजीकृत डाक इस रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को अदम तामिल प्राप्त हुई कि "इस नाम की कोई संस्था चौबेपुर में नही है तथा उक्त कार्यालय की कोई सूचना डाकघर में नही है।" इस न्यायालय द्वारा अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पुनर्निमाण संस्थान, सुरपगला के नाम से जारी नोटिस जो तहसीलदार, आबूरोड़ को तामिली हेतु भिजवाया गया था वह भी इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि "ग्राम सुरपगला में लोगें से जानकारी करने पर इस ग्राम में इस नाम की संस्था का अध्यक्ष व सचिव नही होने से संस्था के भवन पर नोटिस चस्पा किया गया।"

उक्त विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र में दिनांक 30.7.2009 को प्रकाशन होने से एक माह की समयावधि में किसी भी व्यक्ति अथवा उक्त संस्थान के पदाधिकारी या सदस्य ने कलेम प्रस्तुत नही किया गया। इस न्यायालय द्वारा उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही को नोटिस जारी करने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.10.2009 को श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला ने आपत्ति एवं कलेम/दावा प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ तथा संस्थान की ओर से उसकी सम्पति व हितों की देखभाल में स्वयं ही करता हूँ। संस्थान के समस्त साजिक कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन मैं स्वयं उक्त परिसर में वर्ष 1987 से लगातार कर रहा हूँ, इसलिये मुझे समस्त दस्तावेजात एकत्रित करने व संस्थान के निदेशकों से सम्पर्क कर पूर्ण जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जावे। जिस पर इस न्यायालय द्वारा कलेमेन्ट श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला को जवाब व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समय दिया। तत्पश्चात् दिनांक 10.12.2009 को कलेमेन्ट श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला द्वारा इस न्यायालय को प्रारम्भिक जवाब/प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया कि उक्त प्रकरण में विवादित खसरा संख्या 1592 रकबा 2 बिस्वा जो कि ग्राम छापरी फली, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़ में स्थित है के संबंध में एक अन्य व्यक्ति अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी द्वारा वर्ष 1987 में अवैध रुप से कब्जा कर लिया था जिस कब्जे को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस भी दिये गये है। मैनें स्वयं ने ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के अधिकृत प्रतिनिध एवं [illegible] उक्त अवैध अतिक्रमी को विवादित स्थल से कब्जा खाली करने हेतु नोटि[illegible] उक्त अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी भील द्वारा नोटिस की [illegible] विवादित भूमि पर अतिक्रमण को बनाये रखने के लिये न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) आबूरोड़ में

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with ACE Scanner

मुद्दे व ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान वाराणी, ग्राम पंचायत सुरपगला तथा राजस्थान सरकार को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाकर एक दीवानी वाद संख्या 69/2009 अनवान अरविन्द कुमार बनाम बाबूलाल व अन्य प्रस्तुत किया है जिससे संबंधित दीवान विविध प्रकरण संख्या 47/2009 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2009 को पारित आदेशानुसार उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है, इसलिये माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) आबूरोड द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 47/2009 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2009 की पालना में आप द्वारा जारी नोटिस के अग्रसरण में किसी प्रकार की कार्यवाही उक्त दीवानी प्रकरण के पूर्ण न्याय निर्णय होने तक अमल में नही लावे व राजस्थान राजगामी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रारम्भिक जवाब/प्रार्थना पत्र का तहसीलदार, आबूरोड के पत्र क्रमांक भू. अ./2011/776 दिनांक 09.5.2011 से जवाब प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला को उसके द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रारम्भिक/जवाब प्रार्थना पत्र के संबंध में सुनवाई हेतु इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिस पर श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला में इस न्यायालय में दिनांक 07.10.2011 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के संबंध में मैंने पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक रुप से पेश कर सूचित कर दिया था कि नोटिस में वर्णित विवादित सम्पति पर मेरा कोई कब्जा नही है। उक्त सम्पति अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी भील के कब्जे अधिकार में है जिस कब्जे को हटाने के संबंध स्थानीय पंचायत द्वारा कार्यवाही की गई व नोटिस दिये गये, लेकिन उसके द्वारा नोटिस की पालना नही की गई। अरविन्द कुमार ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), आबूरोड में दीवानी मूल वाद संख्या 69/2009 अनवान अरविन्द कुमार बनाम बाबूलाल व अन्य पेश किया है जिसमें राजस्थान सरकार बतौर प्रतिवादी संख्या–4 है। उक्त दीवान वाद से संबंधनी दीवानी विविध प्रकरण संख्या 47/2009 अनवान अरविन्द कुमार बनाम बाबूलाल में माननीय न्यायालय द्वारा अरविन्द कुमार का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार कर अन्य पक्षकारान को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 09.2.2011 को पारित किये गये है। उक्त सम्पति के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो अरविन्द कुमार नामक कब्जाधारी के विरुद्ध की जावे एवं मेरे विरुद्ध जारी नोटिस को निरस्त कर मेरे विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

तत्पश्चात् इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी कलेमेन्ट श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, निवासी– सुरपगला, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द देव सुमन व श्री महेश शर्मा उपस्थित हुये एवं प्रकरण में श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, निवासी– सुरपगला की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर उक्त सम्पति के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), आबूरोड में एक सिविल वाद संख्या 69/2009 वास्ते घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश का विचाराधीन होने से तहसीलदार, आबूरोड द्वारा राजस्थान राजगामी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया। अप्रार्थी कलेमेन्ट श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति–गमेती, निवासी– सुरपगला की ओर से द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, आबूरोड, जिला– सिरोही में दीवानी अपील डिक्री संख्या: 48/2015 (20/2013) अनवान अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी–छापरफली, सुरपगला बनाम बाबूलाल पुत्र लालाराम खैर, जाति– गमेती,

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान

Scanned with ACE Scanner

निवासी- सुरपगला व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.2.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा कलेमेन्ट श्री बाबुलाल पुत्र लालाराम जी खैर, निवासी- सुरपगला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को बाद सुनवाई पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 के द्वारा खारिज किया गया एवं प्रकरण मे उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति- डुंगरी भील, निवासी- छापरफली, सुरपगला, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही को सुनवाई हेतु इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि "यदि उक्त सम्पति में किसी प्रकार का कोई हित रखते हो अथवा उक्त संस्थान से संबंध रखते हो तो इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।" इस न्यायालय द्वारा उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति- डुंगरी भील, निवासी- छापरफली, सुरपगला को जारी नोटिस की तामिल नही होने पर इस न्यायालय द्वारा उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति- डुंगरी भील, निवासी- छापरफली, सुरपगला को पत्र क्रमांक:रीडर/2021/245 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा नोटिस जारी करके उक्त नोटिस को दैनिक समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 06 मार्च, 2021 को पृष्ठ संख्या-2 पर छाया करवाकर उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति-डुंगरी भील, निवासी- छापरफली, सुरपगला को नोटिस की तामिल करवाई गई, लेकिन नियत तारीख पेशी 09.3.2021 को उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति- डुंगरी भील, निवासी- छापरफली, सुरपगला इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति- डुंगरी भील, निवासी- सुरपगला को समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति- डुंगरी भील, निवासी- छापरफली, सुरपगला द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में कोई कलेम/दावा इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार), कलेक्टर कार्यालय, सिरोही ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसील आबूरोड के पटवार मण्डल सूरपगला में ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से सम्पति स्थित है। वर्तमान में ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम की संस्था अस्तित्व में नही है। पटवारी हल्का, सूरपगला की रिपोर्ट व रेकर्ड के अनुसार ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि रेकर्ड में दर्ज है, जो पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 629 दिनांक 22.7.1985 से क्रय की हुई भूमि है एवं इस भूमि पर इसी खसरा नम्बर में 6 कमरे, एक हैण्डपम्प बाउण्ड्री वॉल सहित बने हुए है, जो आबूरोड से अम्बाजी रोड पर स्थित है। उक्त संस्थान गत 15 वर्षो से बन्द पडी है, जिसका कोई मालिक नही है। संस्थान के पंजीकरण के संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नही है, सिर्फ पंजीकृत दस्तावेज में ही है। पंजीयन कार्यालय में संस्था के पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है तथा न ही संस्था के पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध हुई है। संस्था के पंजीयन व पदाधिकारियों की सूची व संस्था के संविधान के संबंध में कोई दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध नही है। उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति या रुपान्तरण आदेश के ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान का भवन बना हुआ है। मौके पर कृषि भूमि का कोई अस्तित्व नही है। तत्समय मौके पर बाबूलाल [illegible] निवास करता है, जो तत्समय सूरपगला ग्राम पंचायत का सरपंच था, [illegible] निजी मकान बताकर उक्त सम्पति में विद्युत विभाग से विद्युत [illegible] बाबूलाल पुत्र लालाजी खैर द्वारा स्वयं को संस्थान का [illegible] एवं अधिकृ[illegible] निधि बताया है, लेकिन श्री बाबूलाल को संस्थान के संचाल[illegible] किया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with ACE Scanner

संविधान, पदाधिकारियों की सूची इत्यादि प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जाने पर भी कोई अधिकृत पत्र प्रस्तुत नही किया है। है। चूंकि उक्त संस्थान अस्तित्व में नही है तथा न ही उक्त संस्थान के पंजीयन के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध हुये है एवं न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे दस्तावेज या संस्थान का कोई अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त चल सम्पति बिना स्वामित्व की है, जिसका कोई वारिस नही है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त समस्त सम्पति को राजस्थान राजगामी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्न्तगत राजगामी सम्पति घोषित की जावे एवं राज्य सरकार में निहित की जावे। जबकि अप्रार्थी कलेमेन्ट श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, निवासी– सुरपगला जो कि उक्त ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी का अधिकृत प्रतिनिधि होने से संस्थान की ओर से उसकी सम्पति व हितों की देखभाल करता रहा है। संस्थान के समस्त सामाजिक कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन मैं स्वयं उक्त परिसर में वर्ष 1987 से करता रहा है। विवादित खसरा संख्या 1592 रकबा 2 बिस्वा जो कि ग्राम छापरी फली, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़ में स्थित है के संबंध में भूमि एक अन्य व्यक्ति अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी भी द्वारा वर्ष 1987 में अवैध रुप से कब्जा कर लिया था जिस कब्जे को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा उसके नोटिस भी दिये गये है एवं कलेमेन्ट बाबुलाल ने ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के अधिकृत प्रतिनिध एवं व्यवस्थापक की हैसियत से उक्त अवैध अतिक्रमी को विवादित स्थल से कब्जा खाली करने हेतु नोटिस दिया था, लेकिन उक्त अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी भील द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण को बनाये रखने के लिये न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), आबूरोड़ में मुझे व ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणी, ग्राम पंचायत सुरपगला तथा राजस्थान सरकार को बतौर प्रतिवादी पक्षकर बनाकर एक दीवानी वाद संख्या 69/2009 अनवान अरविन्द कुमार बनाम बाबूलाल व अन्य प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.), आबूरोड़ द्वारा कलेमेन्ट बाबुलाल के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 04.9.21013 को पारित कर उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापर फली, सुरपगला का वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिसमें विरुद्ध उक्त श्री अरविन्द कुमार द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायालधीश, आबूरोड़ में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, आबूरोड़ द्वारा दीवानी अपील डिक्री संख्याः 48/2015 (20/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.2.2018 के द्वारा उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला के पक्ष स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतः उचित आदेश पारित करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र, ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से ग्राम सुरपगला, पटवार मण्डल सुरपगला, तहसील आबूरोड़, जिला– सिरोही के भू राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा को राजस्थान एस्चीट रेग्यूलेशन एक्ट, 1956 की धारा 6 के तहत राजगामी सम्पति घोषित करवाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि "ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम की संस्था अस्तित्व में नही है। पटवारी हल्का, सूरपगला की रिपोर्ट व रेकर्ड के अनुसार ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी [illegible] 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि रेकर्ड में दर्ज है जो पंजीकृत विक्रय विलेख [illegible] 62 दिनांक 22.7.1985 से क्रय की हुई है एवं इस भूमि पर इसी [illegible] बाउण्ड्री वॉल सहित बने हुए है, जो आबूरोड़ से [illegible] रोड पर [illegible] है। संस्थान विगत कई वर्षो

......पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner

से बन्द पडी है, जिसका कोई मालिक नही है। वर्तमान में बाबूलाल पुत्र लालाराम, जाति– खैर गमेती निवास करता है, जिन्होनें विद्युत विभाग से सम्बन्ध करवाया है, लेकिन उक्त श्री बाबुलाल पुत्र लालाराम द्वारा संस्थान का कोई अधिकृत पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। संस्थान के पंजीकरण के संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नही है। संस्था के पंजीयन व पदाधिकारियों की सूची व संस्था के संविधान के संबंध में कोई दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध नही है।''

प्रकरण में उक्त सम्पति/संस्था के संबंध में इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:कोर्ट/2009/433 दिनांक 09.7.2009 से इस आशय की विज्ञप्ति जारी की गई कि ''ग्राम सूरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही (राज.) के खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा भूमि ग्राम पुर्ननिर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम दर्ज है, उक्त भूमि ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय चौबेपुर, वाराणसी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.7.1985 के द्वारा क्रय की गई है। उक्त खसरा नम्बर में भूमि पर चार दीवारी व छः कमरे बने हुए है व एक हैण्डपम्प भी स्थित है। उक्त भूमि आबूरोड़ से अम्बाजी रोड़ पर स्थित है। वर्तमान में उक्त संस्था अस्तित्व में नही होने व उक्त सम्पति लावारिश सम्पति होना बताते हुए तहसीलदार, आबूरोड़ ने उक्त सम्पति को राजगामी सम्पति घोषित कराने हेतु राजस्थान राजगामी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय, वाराणसी नाम की उक्त संस्था वर्तमान में अस्तित्व में हो या जो कोई व्यक्ति उक्त संस्था से संबंध रखता है अथवा उक्त संस्था का पदाधिकारी या सदस्य है तो वह अपनी आपत्ति इस विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।''

उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय समाचार पत्र एवं वाराणसी के समाचार पत्र में छाया करवाया गया एवं उक्त विज्ञप्ति को राजकीय मुद्रणालय, जयपुर से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करवाई गई। साथ ही, उक्त विज्ञप्ति को जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, आबूपर्वत के नोटिस बोर्ड, सहायक रजिस्ट्रार, सहाकारी समितियां, सिरोही के कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति कार्यालय, आबूरोड़ के नोटिस बोर्ड एवं इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवाया गया एवं तहसीलदार, आबूरोड़ के माध्यम से उकत विज्ञप्ति का प्रसारण ग्राम सुरपगला एवं आस–पास के क्षेत्र में डोण्डी पिटवाकर करवाया एवं उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति उक्त सम्पति के मौके पर एवं एक प्रति तहसील कार्यालय, आबूरोड़ के नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा करवाई।

चूंकि उक्त विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र अंक 18 दिनांक 30.7.2009 भाग संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 189 पर प्रकाशित होने तथा उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार ''दैनिक जयपुर ब्यूरों'' में दिनांक 28.7.2009 को पृष्ठ संख्या 4 पर एवं वाराणसी के स्थानीय दैनिक समचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 29.7.2009 के पृष्ठ संख्या 11 पर छाया/प्रकाशित होने पर भी उक्त विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र में दिनांक 30.7.2009 को प्रकाशित होने से एक माह की समयावधि में उक्त सम्पति के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा उक्त संस्थान के पदाधिकारी या सदस्य ने कोई आपत्ति एवं कलेम/दावा प्रस्तुत नही किया गया। इसके अलावा, प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, पंजीकृत कार्यालय चौबेपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के पते पर जारी नोटिस की पंजीकृत ड़ाक इस रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को अदम तामिल प्राप्त हुई कि ''इस नाम की कोई संस्था चौबेपुर में नही है तथा उक्त कार्यालय को कोई सूचना [illegible] नही है।

प्रकरण में उक्त सम्पति के संबंध में श्री बाबूलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला ने अपना कलेम/दावा प्रस्तुत करते हुए स्वयं को ग्राम

.....पेज आठ पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with ACE Scanner

पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणीस का अधिकृत प्रतिनिधि होना बताया एवं संस्थान की ओर से स्वयं को उक्त सम्पति की देखभाल करना बताया, लेकिन उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला ने उक्त संस्थान का अधिकृत पत्र प्रस्तुत नही किया एवं न ही उक्त ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान के पंजीकरण से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला ने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित हो सके कि वह उक्त ग्राम पुनर्निमाण संस्थान का अधिकृत प्रतिनिधि/व्यवस्था अथवा पदाधिकारी या सदस्य हो। प्रकरण में श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला द्वारा उक्त सम्पति के स्वामित्व व मालिकाना हक के संबंध में एवं उक्त ग्राम पुननिर्माण संस्थान से संबंधित किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये।

प्रकरण में उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह पाया गया कि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, आबूरोड़, जिला– सिरोही द्वारा दीवानी अपील डिक्री संख्याः 48/2015 (20/2013) अनवान अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी–छापरफली, सुरपगला बनाम बाबूलाल पुत्र लालाजी खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.2.2018 के द्वारा वादी अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला द्वारा प्रतिवादीगण बाबूलाल पुत्र लालाजी खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 69/2009 अरविन्द कुमार बनाम बाबूलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.9.2013 को अपास्त किया गया एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण वादी के वादग्रस्त परिसर में विधि विरुद्ध प्रवेश कर कोई क्षति कारित नहीं करें तथा वादी के परिसर के उपयोग–उपभोग व कब्जे में विधि विरुद्ध कोई बाधा या व्यवधान उत्पन्न ना तो स्वयं करे, ना ही अपने अधीनस्थ के माध्यम से करावे।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही को भी सुनवाई हेतु इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि यदि उक्त सम्पति में किसी प्रकार का कोई हित रखते हो अथवा उक्त संस्थान से संबंध रखते हो तो इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस न्यायालय द्वारा उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला को पत्र क्रमांकःरीडर/2021/245 दिनांक 29.01.2021 से जारी नोटिस को दैनिक समाचार पत्र ''राजस्थान पत्रिका'' में दिनांक 06 मार्च, 2021 को पृष्ठ संख्या–2 पर छाया करवाकर उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति–डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला को नोटिस की तामिल करवाई गई, लेकिन नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– सुरपगला द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा कलेम/दावा इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छा[illegible] ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ जिससे यह साबित हो स[illegible] पुनर्निमाण संस्थान, वाराणसी का वह पदाधिकारी या सद[illegible]

.........पेज नौ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner

चूंकि प्रकरण में उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला ने उक्त संस्थान का अधिकृत पत्र प्रस्तुत नही किया एवं न ही उक्त ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया। उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि वह उक्त ग्राम पुनर्निमाण संस्थान, वाराणसी का अधिकृत प्रतिनिधि / व्यवस्थापक अथवा पदाधिकारी या सदस्य हो। श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला द्वारा उक्त सम्पति के स्वामित्व व मालिकाना हक के संबंध में एवं उक्त ग्राम पुनर्निमाण संस्थान, वाराणसी के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नही प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में उक्त श्री बाबुलाल पुत्र श्री लालाराम खैर, जाति– गमेती, निवासी– सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति एवं कलेम / दावा किसी भी रुप में स्वीकार योग्य नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुगरी भील, निवासी– छापरीफली, सुरपगला को भी इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की समाचार पत्र के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में कोई आपत्ति एवं कलेम / दावा इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया एवं न ही इस न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ है। प्रकरण में उक्त श्री अरविन्द कुमार पुत्र अनाजी, जाति– डुंगरी भील, निवासी– छापरफली, सुरपगला की ओर से ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त ग्राम पुनर्निमाण संस्थान का वह पदाधिकारी या सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि हो। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में जारी विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र में दिनांक 30.7.2009 को प्रकाशित होने से एक माह की समयावधि में एवं आदिनांक तक उक्त सम्पति के संबंध में अन्य किसी भी व्यक्ति या उक्त संस्था के पदाधिकारी / सदस्य ने कोई आपत्ति एवं कलेम / दावा प्रस्तुत नही किया है।

इस प्रकार, प्रकरण में तहसीलदार, आबूरोड़ की रिपोर्ट अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम की संस्था अस्तित्व में नही है एवं उक्त संस्थान विगत कई वर्षो से बन्द पडी है, जिसका कोई मालिक नही है। इस संस्थान के पंजीकरण के संबंध में भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नही हुये है एवं संस्था के पंजीयन व पदाधिकारियों की सूची व संस्था के संविधान के संबंध में भी कोई दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में उपलब्ध नही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम सुरपगला, पटवार हल्का, सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही के भू राजस्व अभिलेख में ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से दर्ज भूमि खसरा संख्या 1592 रकबा 0.02 बीघा बिना स्वामित्व की सम्पति है एवं ऐसी कोई संस्था अस्तित्व में नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त सम्पति को राजस्थान एस्चीट रेग्यूलेशन एक्ट, 1956 के तहत राजगामी सम्पति घोषित करवाने एवं उक्त सम्पति राज्य सरकार में निहित करने के लिये प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरोही को पुष्टि हेतु प्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड़ अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान एस्चीट रेग्यूलेशन एक्ट, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरपगला, पटवार हल्का सुरपगला, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही के भू राजस्व अभिलेख में ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान, वाराणसी के नाम से दर्ज भूमि खसरा संख्या 1592 रकबा

......पेज दस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय * सिरोही * कलक्टर जिला

Scanned with ACE Scanner

2.02 बीघा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 296 एवं राजस्थान एस्चीट रेग्यूलेशन एक्ट 1956 के तहत राजगामी सम्पति घोषित करवाने एवं उक्त सम्पति को राज्य सरकार में निहित करवाने की अभिशंषा सहित प्रकरण राजस्थान एस्चीट रेग्यूलेशन एक्ट 1956 की धारा 6(9)(बी) के तहत माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरोही को पुष्टि / अनुमोदन हेतु इस प्रकरण की पत्रावली के साथ प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09 अप्रेल, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner